

सूचना
कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत

1. श्री सुरेश महतो एवं सुजीत महतो पिता बुधन महतो निवासी ग्राम: होन्हे, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 2832 E दिनांक 30.8.2017 के तहत ग्राम: होन्हे, थाना सं: 50, (रैयती) खाता सं. 1 के अधीन प्लॉट सं 62, कुल दावित रकवा 1.60 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में मुआवजा का एक प्रस्ताव कि प्रक्रिया की गयी है।
- क. ऊपर उल्लेखित खाता संख्या. 1, प्लॉट न. 62 जिसका खरीदगी रकवा 1.60 एकड़ है जिसे केवाला संख्या. 3167 दिनांक 07.6.2005 के माध्यम से श्री सुरेश महतो एवं सुजीत महतो पिता बुधन महतो के द्वारा प्रहाद सिंह पिता स्व वैजनाथ सिंह एवं सुमन कुमार सिंह पिता प्रहाद सिंह से खरीदगी की गयी है।
2. उमेश प्रसाद यादव पिता यमुना प्रसाद यादव, निवासी ग्राम: होन्हे, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 SO No. 2832 E दिनांक 30.8.2017 के तहत ग्राम: होन्हे, थाना सं: 50, (रैयती) खाता सं. 48 के अधीन क्रमश प्लॉट सं 547 एवं 775, कुल दावित रकवा 0.60 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में मुआवजा का एक प्रस्ताव कि प्रक्रिया की गयी है।
- ब. ऊपर उल्लेखित खाता सं. 48 के अधीन क्रमश प्लॉट सं 547 एवं 775 जिसका प्लॉटवार दावित रकवा 0.20 एकड़ एवं 0.40 एकड़ है एवं कुल दावित रकवा 0.60 एकड़ है, जिसे केवाला सं. 1491 दिनांक 24.3.2014 के माध्यम से उमेश प्रसाद यादव पिता यमुना प्रसाद यादव के द्वारा यमुना प्रसाद यादव पिता झवर महतो से खरीदगी की गयी है।

अगर उक्त मुआवजा पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_lnd.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से 10 (दस) दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में विभाग अध्यक्ष (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त 10 (दस) दिनों के अंदर इस सूचना से संबंधित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: होन्हे, थाना सं: 50, खाता सं. 1 के अधीन प्लॉट सं. 62 दावित रकवा 1.60 एकड़ एवं खाता संख्या 48 के अधीन प्लॉट सं. 547 एवं 775 दावित रकवा 0.20 एकड़ एवं 0.40 एकड़, कुल दावित रकवा 0.60 एकड़, रैयती भूमि, जो क्रमश श्री सुरेश महतो एवं सुजीत महतो पिता बुधन महतो एवं उमेश प्रसाद यादव पिता यमुना प्रसाद यादव, जिसे कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है के भूमि-मुआवजा प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

विभागअध्यक्ष (भूमि एवं राजस्व),

सी.सी.एल, राँची



